**उद्योग संचालनालय,मध्यप्रदेश**
**(वित्तीय सहायता कक्ष)**

क्रमांक 1/विसहा/(2)/2011/2782-2783 भोपाल, दिनांक 21.08.2014

प्रति,

महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
बुरहानपुर/छिन्दवाड़ा।

विषयः--खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग अंतर्गत मिलने वाले अनुदान के संबंध में।

संदर्भः--आपका पत्रांक जिव्याउके/विसहा/2014/2629, बुरहानपुर दिनांक 30.05.2014 एवं पत्रांक जिव्याउके–छिन्द/उनिअ/2013–14/2464, दिनांक 11.03.2014

---0---

उक्त विषयक संदर्भ में अवगत कराया जाता है कि नेशनल हार्टीकल्चर बोर्ड द्वारा संचालित राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन की योजना, भारत सरकार द्वारा संचालित है जबकि उद्योग संवर्धन नीति, 2010 अंतर्गत उद्योग निवेश अनुदान योजना, राज्य शासन द्वारा संचालित है। आपके द्वारा प्रेषित संदर्भों में उल्लेखित प्रकरणों में योजना की प्रोत्साहन राशि (Subsidy) दो अलग–अलग सरकारों के द्वारा दी जा रही है और राज्य शासन पर दोहरे अनुदान (Double Subsidy) का भार नहीं पड़ रहा है अतः ऐसे पात्र उद्यमों को दोनों सरकारों द्वारा दी जाने वाली दोनों सब्सीडी का लाभ दिया जा सकता है। यह ध्यान रखा जावे कि एक ही परियोजना में जो सब्सीडी दी जा रहा है, वह निवेश की कुल सीमा के भीतर (Within the overall limit of investment) होना चाहिये। तद्नुसार अनुदान प्रकरणों के निराकरण हेतु सक्षम जिला स्तरीय समिति के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही की जावे।

**उद्योग आयुक्त द्वारा आदेशित।**

अपर उद्योग संचालक
कृते उद्योग आयुक्त,म0प्र0

पृ0क्र0 1/विसहा/(2)/2011/2784-2843 भोपाल, दिनांक 21.08.2014

प्रतिलिपि--

1/ अपर/संयुक्त संचालक, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय.........(7)......... (समस्त) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,.........(53).........(समस्त) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नीतिगत मार्गदर्शन अनुसार अपने कार्यक्षेत्र में स्थित संबंधित पात्र औद्योगिक इकाईयों के अनुदान प्रकरणों में कार्यवाही की जावे।

अपर उद्योग संचालक
कृते उद्योग आयुक्त,म0प्र0